राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–5

उपस्थित–माननीया श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्यायिक)

याचिका सं0-541/2026

सुनील कुमार जोशी, आयु लगभग 41 वर्ष, पुत्र शकलानन्द जोशी, निवासी-शिवकुटी किंग कॉलेज रोड, थाना-कोतवाली, पौढ़ी, जनपद-पौढ़ी, राज्य-उत्तराखण्ड, वर्तमान कार्यरत उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली, जनपद मथुरा, पी0एन0ओ0 नं0-982650473।

.....याची

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
   उ0प्र0, सिविल सचिवालय
   लोक भवन, लखनऊ।

2. पुलिस उपमहानिरीक्षक,
   आगरा, परिक्षेत्र, आगरा।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
   जनपद-मथुरा।

. . . .विपक्षीगण

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश सिंह उपस्थित।
वास्ते विपक्षीगण, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सुश्री श्वेता सिहं।

निर्णय

(मा0 श्रीमती अनिता राज, सदस्य, न्यायिक द्वारा श्रुतलेखित)

याची द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अंतर्गत विपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित आलोच्य परिनिन्दा दंडादेश

दिनांकित 26.02.2025, को आपास्त किये जाने बाबत तथा पारिमाणिक सेवा लाभ दिलाये जाने बाबत दायर की है।

2. याची ने आलोच्य आदेश के विरूद्ध दिनांक 21.05.2025 को अपील का निस्तारण न किये जाने पर याची द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.02.2026 को विधिक नोटिस याची की अपील निस्तारित किये जाने बाबत प्रेषित किया, जिसकी समयावधि पूर्ण होने पर, अपील का निस्तारण न किये जाने की दशा में प्रस्तुत याचिका योजित की गयी है।

3. संक्षिप्त में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की आरंभिक नियुक्ति सीधी भर्ती आरक्षी के पद पर दिनांक 12.10.1998 पुलिस विभाग जनपद चमोली में हुयी थी। याची की पदोन्नति वर्ष 2008 में पुलिस लाइन हरिद्वार में प्रशिक्षण के उपरान्त चमोली प्रयाराज, सहारनपुर में मुख्य आरक्षी के पद पर हुयी थी। वर्ष 2013-14 में पी0टी0सी0 सीतापुर से प्रशिक्षणोपरान्त उसकी पदोन्नति कानपुर देहात में उपनिरीक्षक के पद पर हुयी थी। याची जब वर्ष 2020 से मथुरा में तैनात है, उसका कार्य सदैव उत्कृष्ट रहा है। याची जब वर्ष 2020 में अपर पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस मथुरा में नियुक्त था, तब थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-701/2023 धारा 381, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि बनाम गोकुलेश गौतम आदि में विवेचक वरि0 उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा विवेचना के मध्य प्र0सू0 रि0 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रकरण में पूर्व से मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में उक्त विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना किये जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं मा0 न्यायालय के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही अभियुक्त कन्हैयालाल गौतम ने अपने बयानों में रसीदे तथा किरायेनामे के निष्पादन को स्वीकार करने, अभियोग से संबंधित रसीदें एवं किरायेनामे में मूल के दीवानी वाद सं0 905/202, गौकुलेश गौतम एड0 बनाम मेघश्याम गौतम आदि की पत्रावली मा0 न्यायालय में मूल दस्तावेज प्राप्त कर हस्ताक्षर मिलान की कार्यवाही किया जाना औचित्यहीन प्रतीत हो रहा है, आदि अंकित कर पूर्वतः किता आरोपपत्र सं0 264/2024 दिनांक 30.05.2024 को पूर्वतः करते हुए विवेचना दिनांक 07.12.2024 को समाप्त कर मा0 न्यायालय दाखिल कराये जाने आदि तथ्यों के सम्बन्ध में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही,

उदासीनता, स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करने आदि तथ्य अंकित किये गये हैं।

4. याची के विरूद्ध उपरोक्तानुसार प्रारंभिक जाँच संस्थित की गयी, जिसकी जाँच आख्या दिनांक 22.01.2025 को दाखिल की गयी। जिसके आधार पर याची के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि-

"जब याची वर्ष-2024 में थाना कोतवाली मथुरा में नियुक्ति के दौरान वादिया श्रीमती सुहाना गौतम पत्नी श्री मेखश्याम गौतम निवासी 221 मनीपाडा थाना वृन्दावन मथुरा द्वारा दिनांक 21.10.2023 को दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जाचोपरांत थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-701/2023 धारा 384, 420, 468, 471, 120बी भादवि बनाम कन्हैया आदि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हीरालाल आदि की विवेचना में साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुये अन्तर्गत धारा 504, 506 भादवि में आरोप पत्र संख्याः 264/2024 दिनांक 30.05.2024 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त कर दी गयी। विवेचना के दौरान इनके द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, जो वेवेचक की घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एव अकर्मण्यता का द्योतक है। तदोपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा आदेश पत्रांकः आर/एसएसपी-61/2024 दिनांक 30.08.2024 के अनुक्रम में धारा 173(8) द0प्र0सं0 में अग्रिम विवेचना वरि0 उ0नि0 सुनील कुमार जोसी थाना कोतवाली मथुरा द्वारा सम्पादित की गयी, जिनके द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रकरण पूर्व से ही मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा स्थिति में उक्त विषयाकित प्रकरण के संबंध में विवेचना किये जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं मा0 न्यायालय के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही अभुयुक्त कन्हैयालाल गौतम ने अपने बयानों में रसीदे तथा किरायेनामे के निष्पादन को स्वीकार किया गया है। अभियोग से संबंधित रसीद एवं किरायेनामा मूल के दीवानी वाद संख्याः 905/2022 गौकुलेश गौतम एड0 बनाम मेघश्याम गौतम आदि की पत्रावली मा0 न्यायालय में दाखिल होने ऐसा स्थिति में मा0 न्यायालय से

मूल दस्तावेज प्राप्त कर हस्ताक्षर मिलान की कार्यवाही किया जाना 264/2024 दिनांक 30.05.2024 को पूर्णतः समर्थन करते हुये बिना कोई साक्ष्य संकलन किये एवं उच्चाधिकारियों द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश निर्देशों का अनुपालन न करते हुए साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सरसरी तौर पर विवेचना कर दिनांक 07.12.2024 को समाप्त कर मा0 न्यायालय प्रेषित कर दी गयी। उ0नि0 सुनील कुमार उपरोक्त का यह कृत्य कर्तव्य पालन के प्रति बरती गयी घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। जिसकी घोर परिनिन्दा की जाती है।"

5. याची को उक्त कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात उससे 15 दिवास के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। याची द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 18.02.2025 को दाखिल किया गया। जिसपर दिनांक 26.02.2025 को विधि विरूद्ध, मनमाने तौर से अमुखरित, कारण रहित, आधारहीन आलोच्य दंडादेश पारित किया गया है, जिसमें क्षुब्ध होकर तथा अपील का निसातारण न किये जाने के फलस्परूप प्रस्तुत याचिका दायर की गयी है।

6. विपक्षी द्वारा लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि याची द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-23 के अन्तर्गत पुनरीक्षण दाखिल करने का विकल्प था, जिसे पूर्ण न करके सीधे प्रश्नगत याचिका अधिकरण से समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो पूर्वकालिक होने के कारण पोषणीय नहीं है। दिनांकित 19.05.2026 को प्रस्तुत करते हुए, कथन किया गया है कि जब याची वर्ष 2024 में थाना कोतवाली मथुरा में नियुक्ति को दौरान वादिया श्रीमती सुहाना गौतम पत्नी श्री मेघश्याम गौतम निवासी 221 मनीपाडा थाना वृन्दावन मथुरा द्वारा दिनांक 21.10.2023 को दिये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जांचोपरान्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 701/2023 धारा 384, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि बनाम कन्हैया लाल आदि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना याची द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र स्व0 हीरालाल आदि की विवेचना में साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुये अन्तर्गत

धारा 504, 506 भादवि में आरोप पत्र संख्या-264/2024 दिनांक 30.05.2024 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त कर दी गयी। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर गहनापूर्वक विचार किया गया एवं स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं जाँच आख्या के आधार पर याची के विरुद्ध याची पर लगाये गये आरोप सही पाये गये और याची को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए उसके विरुद्ध प्रश्नगत दंडादेश दिनांकित 26.02.2025 सकारण एवं मुखरित पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुसार है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा दंडादेश के विरूद्ध याची ने दिनांक 21.05.2025 को अपील प्रस्तुत की है, जो अभी लम्बित है। याची द्वारा निराधार तथ्यों पर याचिका योजित की गयी है और उसकी अपील अभी लम्बित है, अतः याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

7. याची द्वारा प्रत्युत्तर शपथपत्र दिनांकित 20.05.2026 लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-23 के अन्तर्गत याची के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिउत्तरशपथपत्र में अधिकाशतः याचिका के अभिकथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

8. निस्तारण के क्रम में मैंने याची की ओर से उसके अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश सिंह एवं विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकरी के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया एवं अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया गया।

9. याची पर वर्ष 2024 में मु0अ0सं0 701/2023 के अन्तर्गत धारा 384, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड विधान सरकार बनाम कन्हैया की विवेचना को सही ढंग से निष्पादित न कर और साक्ष्य नजरअंदाज करके सरसरी तौर पर विवेचना समाप्त करने के लिए दोषी पाते हुए परिनिन्दा के दंड से दंडित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 26.02.2025 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आदेश में पहले कारण बताओ नोटिस को दण्डाधिकारी द्वारा उतारा गया है, उसके पश्चात प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष का अनुकरण करते हुए मात्र यह लिखकर की कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, वे बलहीन एवं असंतोषजनक हैं, इसलिए याची स्पष्टीकरण बलहीन होने के कारण

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और उसे परिनिन्दा के दंड से दंडित किया गया।

10. आलोच्य आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि याची के द्वारा दिये गये वृहद स्पष्टीकरण में कौन से तथ्य बलहीन एं असंतोषजनक हैं, अथवा क्यो? अतः स्पष्ट है कि दंडाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण पर गहनता एवं सूक्ष्मता से विचार नहीं किया है।

डी0जी0 परिपत्र संख्या 29/22 प्रस्तर 3(14) में दिनांकित 14.09.2022 में जाँच करने वाले पुलिस अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि दंडादेश निर्गत करते समय दंडाधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उल्लेखित सभी तर्कों/बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए मुखरित एवं स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल यह लिखकर इतिपूर्ति न की जाये कि आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्क बलहीन/मान्य नहीं हैं, आदि। प्रस्तुत मामले में दंडाधिकारी द्वारा उक्त परिपत्र का अनुपालन नहीं किया है अतः स्पष्टतः आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध, अमुखरित एवं कारण रहित है।

11. उपरोक्त बिन्दु पर निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें लागू पायी जाती हैं- विधि व्यवस्था **जी(2) 2010वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 0 एस497 0सी0सी0** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि-

> **"That is requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."**

12. दंडादेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है ,**माननीय उच्च न्यायालय ने राजकुमार मेहरोत्रा**

बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य (0एण्ड एस0एल)म कोर्ट केसेज सुप्री 2006 679 में यह अवधारित किया है कि–

"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-a requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside."

13. **क्रांति एसोसिएशन प्रा0लि0 एवं अन्य बनाम मसूद अहमद खान एवं अन्य, एस0एल0पी0 (सिविल) नं0 20428 दिनांक 08.09.2020,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"quasi-judicial authority must record reasons in support of its conclusions because reasons have virtually become as indispensable a component of a decision-making process as observing principles of natural justice by judicial, quasi-judicial and even by administrative bodies. It has also been held that insistence on recording of reasons is meant to serve the wider principles of justice that justice must not only be done it must also appear to be done as well."

14. विधि व्यवस्था **नन्दकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1978)एस एल0(591 0पृष्ठ सं0को0एलसु0** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि-

> **"अनुशासनिक कार्यवाही अल्प न्यायिक प्रकृति की होती है। जाँच अधिकारी का कोई भी निष्कर्ष ग्राहय साक्ष्य पर आधारित होना अनिवार्य हो, अर्थात इतनी साक्ष्य सामाग्री पत्रावली पर उपलब्ध होना चाहिए, जो आरोपित सेवक के दोष को निश्चिततापूर्वक इंगित करे, संदेह को सबूत का स्थान लेने की अनुमति नही दी जा सकती है।"**

15. याची की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि जाँच अधिकारी ने अपनी आख्या में कहीं भी याची के ऊपर दुर्भावना अथवा दुराशय के कारण विवेचना निष्पादित करने का आरोप नहीं लगाया है। याची की ओर से दिये गये इस तर्क में बल है, क्योंकि जाँच आख्या अथवा आदेश के अवलोकन से याची का प्रस्तुत मामले में दुराचरण साबित नहीं होता है।

16. दुराचरण के संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त यूनियन आफ इण्डिया बनाम जे0 अहमद ए0आई0आर0 1979 एस0सी0-1022** के मामले में विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

> **"Misconduct means, misconduct arising form ill motive. Act of negligence, errors of judgment, or innocent mistake, do not constitute such misconduct." "It is however, difficult to believe that lack of efficiency or attainment of highest standards in discharge of duty attached to public office would ipso facto constitute misconduct. There may be negligence in performance of duty or error of judgment in evaluating the developing situation and there may be negligence in discharge of duty would not constitute misconduct. The deficiencies would not constitute misconduct unless the consequences directly attributable to negligence would be such as to be irreparable or the resultant damage would be so heavy**

> **that the degree of culpability would be very high. An error can be indicative of negligence and the degree of culpability may indicate the grossness of the negligence. Carelessness can often be productive of more harm than deliberate wickedness or malevolence"**

17. **इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेन्शियल एनालिसिस आफ इंडिया एण्ड अन्य बनाम काउंसिल आफ इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड अकाउंट आफ इडिया एण्ड अन्य ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 2091,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुराचरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि--

> **"Misconduct" inter alia, envisages breach of discipline, all though it would not be possible to lay down exhaustively as to what would constitute conduct and indiscipline, which, however, wide enough to include wrongful omission or omission whether done or omitted to be done intentionally or unintentionally. It means "improper behaviour, intentional wrong doing on deliberate violation of a rule of standard or behaviour." Misconduct is a transgression of some established and definite rule of action, where no discretion is left except what necessity may demand, it is a violation of definte law or a forbidden act. It differs from carelessness misconduct, even if it is an offence under the Indian penal Code, it equally misconduct. Acquisition of additional qualification (degree) would not amount to misconduct or professional misconduct."**

18. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान याची ने पूर्व विवेचक के द्वारा की गयी विवेचना से सहमत होते हुए और इस कारण से कि प्रकरण से संबंधित दिवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिसमें समस्त मूल परिपत्र/साक्ष्य दाखिल हैं, तथा ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा जहाँ प्रकरण दिवानी प्रकृति का हो, वहाँ पुलिस विवेचना की आवश्यकता नहीं है। समझते हुए धारा 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

सक्षम न्यायालय ने भी शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन के अन्तर्गत 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पर संज्ञान लेते हुए यह मानते हुए कि संबंधित प्रकरण में पुलिस जाँच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाद दिवानी प्रकृति का है। मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने का आदेश देने के बजाय शिकायतर्ता का प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज कराने का आदेश पारित किया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि याची ने अनावश्यक धाराओं का लोप करके मात्र धारा 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया और ऐसा करने में उसका कोई दुराशय सम्मिलित नहीं था। अतः उसका कृत्य उपरोक्त उल्लेखित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त आलोच्य आदेश में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याची को किस साक्ष्य के आधार पर दुराचरण के लिए दोषी ठहराया गया है।

19. उपरोक्त समस्त विवेचना के फलस्वरूप आलोच्य आदेश दिनांकित 26.02.2025 अमुखरित व कारण रहित होने के कारण आपास्त किये जाने योग्य है, तथा याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांकित 26.02.2025 आपास्त किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर याची को प्राप्त होने संबंधी समस्त पारिणामिक सेवा लाभ, जो उक्त आदेशों के क्रम में रोके गये हो उसे प्रदान कराया जाये।

उभय पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

दिनांक 18.08.2026
बी.के.यादव(स्टेनो)